भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्नय संख्याम 207

दिनांक 03.12.2019/12 अग्रहायण, 1941 (शक) को उत्तपर के लिए

भागीदारी सामुदायिक पुलिस व्यवस्था

† *207. श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुलेः
डॉ॰ अमोल रामसिंह कोल्हेः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने ऐसा कोई मोबाइल एप आरंभ किया है जिससे वरिष्ठ नागरिकों सहित आम जनता को पुलिस के संपर्क में रहने तथा भागीदारी सामुदायिक पुलिस व्यवस्था में सहायता हेतु सुझाव देने में सहायता मिलेगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) इस एप को आरंभ करने के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है और इसके क्या लाभ है;

(ग) उन भाषा विकल्पों का ब्यौरा क्या है जो इस एप से मिलने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार ने इस मोबाइल एप को लोकप्रिय बनाने हेतु जागरूकता पैदा की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार ने पुलिस-जनता संप्रेषण के एक द्विमार्गी प्रक्रिया बनाने हेतु 'आपकी पुलिस आपके द्वार' पहल आरंभ की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा पुलिस बल को प्रभावी बनाने तथा कार्रवाई-समय में कमी करने हेतु सरकार ने अन्य क्या कदम उठाये हैं?

उत्तकर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी किशन रेड्डी)

(क) से (ड.): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

“भागीदारी सामुदायिक पुलिस व्य.वस्थात के संबंध में दिनांक 03.12.2019 के लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. *207 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (ड.): भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत ‘पुलिस’ और ‘लोक व्यनवस्थाश्राज्यर के विषय हैं। राज्य सरकारें अपने संबंधित क्षेत्राधिकार में कानून और व्यचवस्था को बनाए रखने तथा नागरिकों की जान और संपत्ति की रक्षा करने के लिए जिम्मेरदार हैं। राज्योंा और संघ राज्यत क्षेत्रों (यूटी) ने वरिष्ठ नागरिकों के लाभ संबंधी सेवाओं सहित नागरिक केंद्रित सेवाएं उपलब्धघ कराने और सहभागी सामुदायिक पुलिस व्यषवस्थान की सुविधा प्रदान करने के लिए मोबाइल एप विकसित कर लांच किए हैं। इस प्रकार की मोबाइल एप किस तरह से कार्य करती हैं अथवा किन भाषाओं में वे उपलब्ध हैं इसका ब्यौरा केंद्रीकृत रूप से नहीं रखा जाता है। तथापि, राज्योंं और संघ राज्यन क्षेत्रों के माध्यधम से गृह मंत्रालय आपात कार्रवाई सहायता प्रणाली (ईआरएसएस) कार्यान्वित कर रहा है। ईआरएसएस विभिन्न आपात स्थितियों के लिए पूरे भारत में , एकल, अंतराष्ट्रीरय तौर पर मान्या नम्बसर अर्थात 112 आधारित एक आपात कार्रवाई व्यवस्था है जोकि 112 इंडिया मोबाइल एप के माध्यएम से भी उपलब्धा है।

*****